गेल (इण्डिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम - महारत्न कंपनी)
GAIL (India) Limited
(A Government of India Undertaking A Maharatna Company)

कैंप ऑफिस : द्वितीय तल, अरिना द बुटीक होटल, व्ही आई पी चौक, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.) 492001

Camp Office :- 2nd Floor, Ariena The Boutique Hotel, VIP Square, Telibandha, Raipur (C.G.) 492001

No. GAIL/NRJPL/CG/FOREST/2023/

Date: 24/07/2023

To,

The Office of the Divisional Forest Officer,
Khairagarh (Chhattisgarh).

विषय :- **Diversion of 15.690 ha. of Forest land/Orange Forest land and Revenue Forest land under Forest Conservation Act 1980, in favour of Executive Deputy Genral Manager (Project) , GAIL (India) Limited for non-forestry work "laying of the Gas Pipeline and O.F.C., 18-inch diameter natural gas under Khairagarh, Bilaspur, Korba, Janjgir-Champa and Raigarh Forest Division of Raigarh District in the State of Chhattisgarh"-reg.**
पंजीयन क्रमांक– **FP/CG/Other/154619/2022**

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ द्वारा जारी प्रथम चरण की स्वीकृति का पत्र क्रमांक/**FC-II/IROCH-20/2023/1414** दिनांक 24.05.2023 एवं वनमंडल अधिकारी खैरागढ़ का कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2033 दिनांक 05.06.2023

–000–

विषयांतर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नया रायपुर का पत्र –1 द्वारा नागपुर से झारसुगुड़ा गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु प्रभावित कुल 15.690 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु उप महाप्रबंधक परियोजना गेल इंडिया लिमिटेड रायपुर को प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गयी हैं
उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार प्रतिवेदन वन मंडलाधिकारी खैरागढ को प्रेषित किया जा रहा हैं। बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

बिन्दु क्रमांक	विषय	जानकारी
i	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	वनभूमि की कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी. से संबंधित शर्त मान्य है।
ii	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval:	क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु रायपुर वनमंडल के अंतर्गत ग्राम भलेरा खसरा क्रमांक 926 की भूमि में से 18.000 हे. शासकीय राजस्व भूमि प्रस्तावित की गई थी। इस भूमि को वन विभाग के नाम पर नामांतरित एवं हस्तांतरित करने की कार्यवाही कलेक्टर रायपुर द्वारा की जा रही

		है। अंतिम चरण की स्वीकृति के पूर्व हस्तांतरण आदेश वनमंडल अधिकारी रायपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जावेगा ताकि वे उक्त शासकीय राजस्व भूमि को वनभूमि घोषित करने संबंधी अधिसूचना प्रकाशन की कार्यवाही कर सकें। कलेक्टर रायपुर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है। **संलग्न** :–उपरोक्तानुसार
iii	**Compensatory afforestation :** Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 18.00 ha. non-forest land in Patwari Halka no. 62, Khasrah no. 962 at Bhalera village, Teh.- Arang, in Atal Nagar, Nava Raipur, Range in Raipur District. Suitability certificate has been submitted by DFOs concerned. Certificate to defray the cost of CA has been submitted by the User Agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species along with 10% RET species of Raipur District shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The User agency shall make necessary facility/ construction in the area to meet the water requirement for plantation and for wild animals throughout the year;	क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु रायपुर वनमंडल के अंतर्गत ग्राम भलेरा खसरा क्रमांक 926 की भूमि में से 18.000 हे. शासकीय राजस्व भूमि प्रस्तावित की गई थी। यह भूमि वन विभाग के नाम पर आवेदक संस्थान द्वारा नामांतरित एवं हस्तांतरित करने के उपरांत अधिरोपित शर्तों का पालन करते हुए क्षतिपूर्ति रोपण का कार्य किया जावेगा।
iv	The cost of compensatory afforestation al the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision fof anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित 18.000 हे. शासकीय राजस्व भूमि में वृक्षारोपण कार्य कराये जाने के संबंध में वर्ष 2023–24 के लिये निर्धारित दर 966666/– रू. प्रति हे. के मान से 18.000 हे. के लिये राशि 17399988/– रू. कार्पोरेशन बैंक लोधी रोड नई दिल्ली के कैम्पा खाता में वेब पोर्टल पर ई–चालान जनरेट कर उक्त राशि जमा करा दी गई है। चालान की प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है। **संलग्न** :–उपरोक्तानुसार
v	**NPV:** a) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 15.690 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006, letter No. 53/2007-FC dated 05/02/2009, letter No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022 and letter No. 5-3/2011-FC(V01-I) dated 22.03.2022 in this regard; b) Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalizalion of the same by the Hon'ble Suprême Court of India *on* receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;	**a**) प्रकरण में व्यपवर्तित की जाने वाली 15.690 हे. में से वन/नारंगी वनभूमि का रकबा 11.651 हे. के लिये प्रत्याशा मूल्य की राशि 1228590/– रू. प्रति हे. के मान से राशि 14314302/– रू. तथा राजस्व वनभूमि का रकबा 4.039 हे. के लिये प्रत्याशा मूल्य की राशि 957780/– प्रति हे. के मान से राशि 4008211/– रू. कुल राशि 18322513/– रू. कार्पोरेशन बैंक लोधी रोड नई दिल्ली के कैम्पा खाता में वेब पोर्टल पर ई–चालान के माध्यम से जमा करा दिया गया है। चालान की प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है। **b**) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के बाद यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के दर में परिवर्तन किया जाता है तो अंतर की मांग की गई राशि हमारे द्वारा निर्धारित बैंक खाते में जमा कराया जावेगा, से संबंधित वचन दिया जाता है। **संलग्न** :–उपरोक्तानुसार

	The User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department; maximum numbers of trees in 10 meters RoW will be kept intact. A detailed report in this regard shall be submitted to IRO, Raipur, MoEF&CC along with Stage- I compliance report;	(1) प्रकरण में खैरागढ वनमंडल के अंतर्गत वनभूमि के 1271 एवं राजस्व वनभूमि के 21 कुल 1292 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। इसके विदोहन हेतु मांग की गई राशि 423073/– रूपये का डी.डी. क्रमांक 000696 दिनांक 28.06.2023 द्वारा वनमंडल अधिकारी खैरागढ के कार्यालय में जमा करा दी गई है। प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है। (2) प्रकरण में जॉजगीर–चांपा वनमंडल के अंतर्गत वनभूमि के 237 वृक्ष एवं 01 नग बांसभिर्रा प्रभावित हो रहे है। इसके विदोहन हेतु मांग की गई राशि 625795/– रूपये का डी.डी. क्रमांक 000697 दिनांक 28.06.2023 द्वारा वनमंडल अधिकारी जॉजगीर–चांपा के कार्यालय में जमा करा दी गई है। प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है। (3) प्रकरण में रायगढ वनमंडल के अंतर्गत वनभूमि के 371 नग वृक्ष प्रभावित हो रहे है। इसके विदोहन हेतु मांग की गई राशि 81608/– रूपये का डी.डी. क्रमांक 000698 दिनांक 28.06.2023 द्वारा वनमंडल अधिकारी रायगढ के कार्यालय में जमा करा दी गई है। प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है। **संलग्न** :– उपरोक्तानुसार
vii	After completion of the project, the number of trees in the RoW of 10 meters shall be re-confirmed by the State Forest Department and damage, if any, shall be reported to the Regional Office. Forest land shall be handed over to the User Agency after re-confirmation of the number of pre-enumerated trees.	अधिरोपित शर्त मान्य है। निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।
viii	To improve the Forest/ Tree cover and to reduce pollution in the State, as mandated in National Forest Policy, 1988 and Environmental (Protection) Act, 1986 respectively, the User Agency with involvement of Joint Forest Management Committees (JFMC's) and in consultation with local DFOs shall raise at least 1000 tall seedlings for each of the 183 villages, of forestry species along with bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental and indigenous/local species. At least 50% of seedlings shall be planted in the vicinity of project area and remaining 50% of seedlings shall be distributed among villagers as per choice of villagers. The concerned JFMC's shall maintain record of plantation/ seedling distribution to villagers;	इस शर्त के अनुसार 181 ग्रामों की भूमि प्रभावित हो रही है। प्रत्येक ग्राम में बांस, फलदार, औषधीय एवं अन्य वानिकी प्रजातियों के कम से कम 1000 पौधों का रोपण का कार्य आवेदक संस्थान के व्यय पर किया जाना है। जिसमें से 50% पौधे परियोजना क्षेत्र के आसपास लगाये जावेगे तथा शेष 50% पौधे ग्रामीणों की पसंद के अनुसार ग्रामीणों के बीच वितरित किये जाएंगे। 181 ग्रामों में कुल 1000 नग पौधों के मान से 181000 नग पौधे तैयार किया जाना प्रस्तावित है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छ.ग. रायपुर के आदेश क्रमांक/वि.यो./बजट/08 दिनांक 10.04.2023 द्वारा पौधा तैयारी हेतु प्रति पौधा 23/– रू. निर्धारित किया गया है। इस मान से 181000 नग पौधे तैयार करने हेतु 4163000/– रूपये का मांगपत्र दिया गया था। जिसका डी.डी. तैयार कर संबंधित वनमंडल में जमा करा दिया गया है, वनमंडलवार प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित विवरण निम्नानुसार है :– 1. खैरागढ़ वनमंडल–44 ग्राम पौधा संख्या 44000 राशि 1012000/– रू. डी.डी. क्र. 000699 दि. 28.6.2023

		2. जाँजगीर–चांपा वनमंडल–52 ग्राम पौधा संख्या 52000 राशि 1196000/– रू. डी.डी. क्र. 000700 दि. 28.6.2023 3. कोरबा वनमंडल – 07 ग्राम पौधा संख्या 7000 राशि 161000/– रू. डी.डी. क्र. 000701 दि. 28.6.2023 4. रायगढ़ वनमंडल– 48 ग्राम पौधा संख्या 48000 राशि 1104000/– रू. डी.डी. क्र. 000702 दि. 28.6.2023 5. बिलासपुर वनमंडल–30 ग्राम पौधा संख्या 30000 राशि 690000/– रू. डी.डी. क्र. 000703 दि. 28.6.2023 **संलग्न** :–उपरोक्तानुसार
ix	The user agency in consultation with State Forest Department shall prepare a scheme for the plantation of dwarf species trees/ medicinal plants that may be grown in the ROW as per the norms Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG), Govt. of India, which is not hampering the Safety and maintenance of the pipeline. The same shall be submitted to Integrated Regional Office along with Stage- I compliance report;	इस शर्त के अनुसार व्यपवर्तित की जाने वाली 15.690 हे. भूमि की चौड़ाई 10 मीटर अर्थात ROW की सीमा के अंदर बौने प्रजातियों के पेड़ो/औषधीय पौधों का रोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रति हे. निर्धारित दर राशि 966666/– प्रति हे. के मान से मांग की गई राशि 15166990/– रूपये कार्पोरेशन बैंक लोधी रोड़ नई दिल्ली के कैम्पा खाता में वेब पोर्टल पर ई–चालान जनरेट कर जमा करा दिया गया है। प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है। **संलग्न** :–उपरोक्तानुसार
x	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/);	इस शर्त के पालन में दिये गये निर्देशानुसार वांछित मांग की गई राशि ई चालान जनरेट कर निर्धारित कैम्पा खाता में जमा करा दी गई है। जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति अधिरोपित शर्त कंडिका (iv), (v) एवं (viii) के साथ संलग्न किया गया है।
xi	The State Government of Chhattisgarh/ Nodal Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuing an order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule- 9 (6) (b) (ii) of Forest (Conservation) Rules, 2022 dated 28.06.2022;	वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत व्यपवर्तित की जाने वाली वनभूमि के संबंध में ग्रामसभा का ठहराव प्रस्ताव एवं कलेक्टर द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण–पत्र अंतिम चरण की स्वीकृति के पश्चात भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 की कंडिका 6 (ख) (ii) के प्रावधान अनुसार जमा कराये जाने का वचन दिया जाता है। **संलग्न** :–उपरोक्तानुसार
xii	The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipe line the ground will be leveled;	इस शर्त का पालन मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।
xiii	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable;	प्रकरण में भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। छायाप्रति संलग्न है। **संलग्न** :– उपरोक्तानुसार

xiv	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government;	शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया जाता है।
xv	No labour camp shall be established in the forest land;	शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया जाता है।
xvi	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;	शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया जाता है।
xvii	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer;	शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया जाता है।
xviii	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया जाता है।
xix	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया जाता है।
xx	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;	शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया जाता है।
xxi	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया जाता है।
xxii	Violation of any ofthese conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018;	शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया जाता है।
xxiii	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time, in the interest of conservation, protection and development offorests & wildlife;	शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया जाता है।
xxiv	The compliance report shall be uploaded one-portal	शर्त मान्य है। निर्देशों का पालन सुनिश्चित

(https://parivesh.nic.in/)	करते हुए अपलोड करने की कार्यवाही करने का वचन दिया जाता है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड
M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड,रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur

प्रतिलिपि :—

1. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग
2. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर
3. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर
4. वनमंडल अधिकारी, रायपुर / बिलासपुर / जॉंजगीर–चांपा / रायगढ / कोरबा वनमंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड
M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड,रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur

Received
A.S. Filwa 24/7/023
DFO. Office Dharagal

शर्त कण्डिका–(i)

Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;

पालन प्रतिवेदन

वनभूमि की कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, से संबंधित शर्त मान्य है।

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड

एम.वी.अरविन्द
M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd Raipur

शर्त कण्डिका–(ii)

The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval:

पालन प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु रायपुर वनमंडल के अंतर्गत ग्राम भलेरा खसरा क्रमांक 926 की भूमि में से 18.000 हे. शासकीय राजस्व भूमि प्रस्तावित की गई थी। इस भूमि को वन विभाग के नाम पर नामांतरित एवं हस्तांतरित करने की कार्यवाही कलेक्टर रायपुर द्वारा की जा रही है। अंतिम चरण की स्वीकृति के पूर्व हस्तांतरण आदेश वनमंडल अधिकारी रायपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जावेगा ताकि वे उक्त शासकीय राजस्व भूमि को वनभूमि घोषित करने संबंधी अधिसूचना प्रकाशन की कार्यवाही कर सके।

कलेक्टर रायपुर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड

एम.वी.अरविन्द
M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur

शर्त कण्डिका–(iii)

Compensatory afforestation :

Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 18.00 ha. non-forest land in Patwari Halka no. 62, Khasrah no. 962 at Bhalera village, Teh.- Arang, in Atal Nagar, Nava Raipur, Range in Raipur District. Suitability certificate has been submitted by DFOs concerned. Certificate to defray the cost of CA has been submitted by the User Agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species along with 10% RET species of Raipur District shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The User agency shall make necessary facility/ construction in the area to meet the water requirement for plantation and for wild animals throughout the year;

पालन प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु रायपुर वनमंडल के अंतर्गत ग्राम भलेरा खसरा क्रमांक 926 की भूमि में से 18.000 हे. शासकीय राजस्व भूमि प्रस्तावित की गई थी। यह भूमि वन विभाग के नाम पर आवेदक संस्थान द्वारा नामांतरित एवं हस्तांतरित करने के उपरांत अधिरोपित शर्तों का पालन करते हुए क्षतिपूर्ति रोपण का कार्य किया जावेगा।

वनमंडल अधिकारी
रायपुर वनमंडल रायपुर

शर्त, कण्डिका–(iv)

The cost of compensatory afforestation al the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision fof anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;

पालन प्रतिवेदन

प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित 18.000 हे. शासकीय राजस्व भूमि में वृक्षारोपण कार्य कराये जाने के संबंध में वर्ष 2023–24 के लिये निर्धारित दर 966666/– रू. प्रति हे. के मान से 18.000 हे. के लिये राशि 17399988/– रू. कार्पोरेशन बैंक लोधी रोड़ नई दिल्ली के कैम्पा खाता में वेब पोर्टल पर ई–चालान जनरेट कर उक्त राशि जमा करा दी गई है। चालान की प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड

एम.वी.अरविन्द
M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction
गेल (इंडिया) लिमिटेड,रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur

शर्त कण्डिका–(v)

NPV:

a) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 15.690 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, letter No. 53/2007-FC dated 05/02/2009, letter No. 5-3/2011- FC (Vol-I) dated 06.01.2022 and letter No. 5-3/2011-FC(V01-1) dated 22.03.2022 in this regard;

b) Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalizalion of the same by the Hon'ble Suprême Court of India *on* receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Govemment from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;

पालन प्रतिवेदन

a) प्रकरण में व्यपवर्तित की जाने वाली 15.690 हे. में से वन/नारंगी वनभूमि का रकबा 11.651 हे. के लिये प्रत्याशा मूल्य की राशि 1228590/– रू. प्रति हे. के मान से राशि 14314302/– रू. तथा राजस्व वनभूमि का रकबा 4.039 हे. के लिये प्रत्याशा मूल्य की राशि 957780/-- प्रति हे. के मान से राशि 4008211/– रू. कुल राशि 18322513/– रू. कार्पोरेशन बैंक लोधी रोड़ नई दिल्ली के कैम्पा खाता में वेब पोर्टल पर ई–चालान के माध्यम से जमा करा दिया गया है। चालान की प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है।

b) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के बाद यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के दर में परिवर्तन किया जाता है तो अंतर की मांग की गई राशि हमारे द्वारा निर्धारित बैंक खाते में जमा कराया जावेगा, से संबंधित वचन दिया जाता है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड

एम.वी. अरविंद
M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd Raipur

शर्त, कण्डिका–(vi)

The User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department; maximum numbers of trees in 10 meters RoW will be kept intact. A detailed report in this regard shall be submitted to IRO, Raipur, MoEF&CC along with Stage- I compliance report;

पालन प्रतिवेदन

(1) प्रकरण में खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत वनभूमि के 1271 एवं राजस्व वनभूमि के 21 कुल 1292 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। इसके विदोहन हेतु मांग की गई राशि 423073/– रूपये का डी.डी. क्रमांक 000696 दिनांक 28.06.2023 द्वारा वनमंडल अधिकारी खैरागढ़ के कार्यालय में जमा करा दी गई है। प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है।

(2) प्रकरण में जॉजगीर–चांपा वनमंडल के अंतर्गत वनभूमि के 237 वृक्ष एवं 01 नग बांसभिर्रा प्रभावित हो रहे है। इसके विदोहन हेतु मांग की गई राशि 625795/– रूपये का डी.डी. क्रमांक 000697 दिनांक 28.06.2023 द्वारा वनमंडल अधिकारी जॉजगीर–चांपा के कार्यालय में जमा करा दी गई है। प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है।

(3) प्रकरण में रायगढ़ वनमंडल के अंतर्गत वनभूमि के 371 नग वृक्ष प्रभावित हो रहे है। इसके विदोहन हेतु मांग की गई राशि 81608/– रूपये का डी.डी. क्रमांक 000698 दिनांक 28.06.2023 द्वारा वनमंडल अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में जमा करा दी गई है। प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड

एम.वी.अरविंद
M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur

शर्त कण्डिका–(vii)

After completion of the project, the number of trees in the RoW of 10 meters shall be re-confirmed by the State Forest Department and damage, if any, shall be reported to the Regional Office. Forest land shall be handed over to the User Agency after re-confirmation of the number of pre-enumerated trees.

पालन प्रतिवेदन

अधिरोपित शर्त मान्य है। निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड

एम.वी. अरविन्द
M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur

शर्त कण्डिका–(viii)

To improve the Forest/ Tree cover and to reduce pollution in the State, as mandated in National Forest Policy, 1988 and Environmental (Protection) Act, 1986 respectively, the User Agency with involvement of Joint Forest Management Committees (JFMC's) and in consultation with local DFOs shall raise at least 1000 tall seedlings for each of the 183 villages, of forestry species along with bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental and indigenous/local species. At least 50% of seedlings shall be planted in the vicinity of project area and remaining 50% of seedlings shall be distributed among villagers as per choice of villagers. The concerned JFMC's shall maintain record of plantation/ seedling distribution to villagers;

पालन प्रतिवेदन

इस शर्त के अनुसार 181 ग्रामों की भूमि प्रभावित हो रही है। प्रत्येक ग्राम में बांस, फलदार, औषधीय एवं अन्य वानिकी प्रजातियों के कम से कम 1000 पौधों का रोपण का कार्य आवेदक संस्थान के व्यय पर किया जाना है। जिसमें से 50% पौधे परियोजना क्षेत्र के आसपास लगाये जावेगे तथा शेष 50% पौधे ग्रामीणों की पसंद के अनुसार ग्रामीणों के बीच वितरित किये जाएंगे। 181 ग्रामों में कुल 1000 नग पौधों के मान से 181000 नग पौधे तैयार किया जाना प्रस्तावित है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छ.ग. रायपुर के आदेश क्रमांक/वि.यो./बजट/08 दिनांक 10.04.2023 द्वारा पौधा तैयारी हेतु प्रति पौधा 23/– रू. निर्धारित किया गया है। इस मान से 181000 नग पौधे तैयार करने हेतु 4163000/– रूपये का मांगपत्र दिया गया था। जिसका डी.डी. तैयार कर संबंधित वनमंडल में जमा करा दिया गया है, वनमंडलवार प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित विवरण निम्नानुसार है :–

1. खैरागढ़ वनमंडल–44 ग्राम पौधा संख्या 44000 राशि 1012000/– रू. डी.डी. क्र. 000699 दि. 28.6.2023
2. जॉजगीर–चांपा वनमंडल–52 ग्राम पौधा संख्या 52000 राशि 1196000/– रू. डी.डी. क्र. 000700 दि. 28.6.2023
3. कोरबा वनमंडल – 07 ग्राम पौधा संख्या 7000 राशि 161000/– रू. डी.डी. क्र. 000701 दि. 28.6.2023
4. रायगढ़ वनमंडल– 48 ग्राम पौधा संख्या 48000 राशि 1104000/– रू. डी.डी. क्र. 000702 दि. 28.6.2023
5. बिलासपुर वनमंडल–30 ग्राम पौधा संख्या 30000 राशि 690000/– रू. डी.डी. क्र. 000703 दि. 28.6.2023

<u>संलग्न</u> :– उपरोक्तानुसार

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड
एम.वी.अरविन्द
M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur

शर्त कण्डिका–(ix)

The user agency in consultation with State Forest Department shall prepare a scheme for the plantation of dwarf species trees/ medicinal plants that may be grown in the ROW as per the norms Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG), Govt. of India, which is not hampering the Safety and maintenance of the pipeline. The same shall be submitted to Integrated Regional Office along with Stage- I compliance report;

पालन प्रतिवेदन

इस शर्त के अनुसार व्यपवर्तित की जाने वाली 15.690 हे. भूमि की चौड़ाई 10 मीटर अर्थात ROW की सीमा के अंदर बौने प्रजातियों के पेड़ो/औषधीय पौधों का रोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रति हे. निर्धारित दर राशि 966666/– प्रति हे. के मान से मांग की गई राशि 15166990/– रूपये कार्पोरेशन बैंक लोधी रोड़ नई दिल्ली के कैम्पा खाता में वेब पोर्टल पर ई–चालान जनरेट कर जमा करा दिया गया है। प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड

M.V.ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड,रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur

शर्त कण्डिका–(x)

All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/);

पालन प्रतिवेदन

इस शर्त के पालन में दिये गये निर्देशानुसार वांछित मांग की गई राशि ई चालान जनरेट कर निर्धारित कैम्पा खाता में जमा करा दी गई है। जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति अधिरोपित शर्त कंडिका (iv), (v) एवं (viii) के साथ संलग्न किया गया है।

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड

एम.वी.अरविन्द
M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur

शर्त कण्डिका–(xi)

The State Government of Chhattisgarh/ Nodal Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuing an order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule- 9 (6) (b) (ii) of Forest (Conservation) Rules, 2022 dated 28.06.2022;

पालन प्रतिवेदन

वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत व्यपवर्तित की जाने वाली वनभूमि के संबंध में ग्रामसभा का ठहराव प्रस्ताव एवं कलेक्टर द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण–पत्र अंतिम चरण की स्वीकृति के पश्चात भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 की कंडिका 6 (ख) (ii) के प्रावधान अनुसार जमा कराये जाने का वचन दिया जाता है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड
एम.वी.अरविन्द
M.V.ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur

शर्त कण्डिका–(xii)

The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipe line the ground will be leveled;

पालन प्रतिवेदन

इस शर्त का पालन मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड

एम.वी.अरविन्द
M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur

शर्त कण्डिका–(xiii)

User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable;

पालन प्रतिवेदन

प्रकरण में भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। छायाप्रति संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड

M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur

शर्त कण्डिका–(xiv)

The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government;

पालन प्रतिवेदन

शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया जाता है।

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड
M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur

शर्त कण्डिका–(xv)

No labour camp shall be established in the forest land;

पालन प्रतिवेदन

शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया जाता है।

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल

एम.वी.अरविन्द
M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction
गेल (इंडिया) लिमिटेड रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd Raipur

शर्त कण्डिका–(xvi)

Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;

पालन प्रतिवेदन

शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया जाता है।

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड

एम.वी.अरविन्द
M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur

शर्त कण्डिका–(xvii)

The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer;

पालन प्रतिवेदन

शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया जाता है।

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड

एम.वी.अरविंद
M.V.ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd Raipur

<u>शर्त कण्डिका–(xviii)</u>

No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;

<u>पालन प्रतिवेदन</u>

शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया जाता है।

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड
M.V.ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd Raipur

शर्त कण्डिका–(xix)

The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;

पालन प्रतिवेदन

शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया जाता है।

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड

(एम.वी.अरविंद)
M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur

शर्त कण्डिका–(xx)

The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;

पालन प्रतिवेदन

शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया जाता है।

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड

M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd Raipur

शर्त कण्डिका–(xxi)

The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India

पालन प्रतिवेदन

शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया जाता है।

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड

M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur

शर्त कण्डिका–(xxii)

Violation of any ofthese conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018;

पालन प्रतिवेदन

शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया जाता है।

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड

M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड,रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur

शर्त कण्डिका–(xxiii)

Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time. in the interest of conservation, protection and development offorests & wildlife;

पालन प्रतिवेदन

शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया जाता है।

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड

M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड,रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur

शर्त कण्डिका–(xxiv)

The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

पालन प्रतिवेदन

शर्त मान्य है। निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए अपलोड करने की कार्यवाही करने का वचन दिया जाता है।

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल (इंडिया) लिमिटेड

एम.वी.अरविन्द
M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (निर्माण)
Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड,रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur

न्यायालय–कलेक्टर रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

(प्रकरण क्र. अ/59 वर्ष 2022–23)
ग्राम भलेरा, प.ह.नं. 62 तहसील आरंग
जिला रायपुर (छ0ग0)

वनमंडलाधिकारी,
रायपुर, वनमंडल,
रायपुर (छ0ग0),

विरूद्ध

छ0ग0 शासन

//आदेश //
(पारित आदेश दिनांक ...../07/2023)

वनमंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल रायपुर का पत्र कमांक/व.त.अ./रा./2411 रायपुर, दिनांक 29.09.2022 एवं पत्र कमांक 1679 दिनांक 08.06.2023 के अनुसार गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा नागपुर–झारसुगुड़ा नेचरल गैस पाईप लाईन लिनियर प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रभावित होने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु गैर वन मद की राजस्व विभाग की भूमि ग्राम भलेरा, प.ह.नं. 62, रा.नि.मं. आरंग, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नं. 926 का कुल रकबा 32.130 हे. शासकीय भूमि में से 13.000 हे. भूमि एवं संशोधित पत्र कमांक/व.त.अ./रा/556 रायपुर, दिनांक 13.02.2023 में खसरा नं. 926 मे 18.00 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांतरण एवं आबंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण प्रारंभ किया गया।

(2) मांग की गई भूमि खसरा पांचसाला के अनुसार शासकीय भूमि दर्ज है, तथा हल्का पटवारी रिपोर्ट अनुसार घांस चराई मद में दर्ज है।

(3) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग से राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड चार कमांक 1 की कंडिका 25 अनुसार जांच प्रतिवेदन मंगाया गया। प्रकरण में ईश्तहार जारी कर उसे दो दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि में दिनांक 21.03.2023 एवं नवभारत में दिनांक 21.03.2023 को प्रकाशित किया गया एवं दावा/आपत्ति आमंत्रित की गई। नियत समयावधि में कोई दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(4) सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) का पत्र कमांक/921/न.ग्रा.नि./अभि–93/2023 रायपुर, दिनांक 22.03.2023 के अनुसार ग्राम–भलेरा, प.ह.नं. 62, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग. में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 926 का रकबा 32.130 हे. भूमि वृक्षारोपण के रूप में चयनित भूमि से 18.00 हे. भूमि नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम 2017 की धारा 13 के तहत गठित निवेश क्षेत्रांतर्गत शामिल ग्राम नहीं है।

.....02.....

O/C

(5) आवेदित भूमि वनमंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल रायपुर छ.ग. के द्वारा गेल इंडिया लिमिटेड के लिए नागपुर–झारसुगुड़ा नेचरल गैस पाईप लाईन लिनियर प्रोजेक्ट में वन संरक्षण अधिनियम में प्रभावित वन भूमि 15.690 हे. के बदले क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु मांग किया गया है। शासन के विभागों को शासकीय भूमि को निःशुल्क आबंटन किये जाने के लिये छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ–4–135/सात–1/06, रायपुर दिनांक 10.08.2006 के तहत कलेक्टर को अधिकार प्रत्यायोजित किया गया है।

(6) अतः छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 की कंडिका 3–4 के तहत आवेदित भूमि को निस्तार पत्रक से पृथक करते हुए छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र कमांक एफ–4–135/सात–1/06 रायपुर, दिनांक 10.08.2006 एवं छ.ग. राजस्व एवं पुस्तक परिपत्र खण्ड चार कमांक–2 के तहत् ग्राम भलेरा, प.ह.नं. 62, रा.नि.मं. आरंग, तहसील आरंग, जिला रायपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 926 का भाग रकबा 18.00 हे. भूमि छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को नागपुर–झारसुगुड़ा नेचरल गैस पाईप लाईन लिनियर प्रोजेक्ट में वन संरक्षण अधिनियम में प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए निःशुल्क हस्तांरण/आबंटन निम्नांकित सामान्य एवं विशेष शर्तो के अध्याधीन किया जाता है।

सामान्य एवं विशेष शर्ते निम्नानुसार रहेंगे :–

(1) भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा । यदि ऐसा किया जाता है, तो यह आबंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा आबंटिती को अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी ।
(2) भूमि या उसके किसी भाग का ऊपर उल्लेखित उपयोग के अलावा किसी अन्य व्यक्तियों को उपयोग करने हेतु नहीं दिया जावेगा, उसका हस्तांतरण नहीं किया जायेगा और ना ही किसी अन्य प्रकार से किसी अन्य उपयोग के लिए दिया/उपलब्ध कराया जायेगा ।
(3) यदि उक्त भूमि का उपयोग विहित प्रयोजन के लिए नहीं होता हैं या बाद में कभी बंद दिया जाता है, तो भूमि, उस पर निर्मित संपत्तियों के साथ, शासन में स्वमेव निहित हो जावेगी।
(4) भूमि के संबंध में किसी भी माननीय न्यायालय के आदेश यदि कोई हो तो आवेदक वनमंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल रायपुर छ.ग. को पालन करना आवश्यक होगा।
(5) उपरोक्त उल्लेखित शर्तों का पालन नहीं होने की स्थिति में अनुमति पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

31/07/2
कलेक्टर
रायपुर

पृ0क्रमांक /   /भू-आबंटन/2023   रायपुर, दिनांक   /07/2023

प्रतिलिपिः--

1-- सचिव, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2-- सचिव, छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

3-- आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर जिला रायपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

4-- वनमंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

5-- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग जिला रायपुर (छ0ग0) को मूल प्रकरण संलग्न कर उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय से दुरूस्त कराकर, दुरूस्तसुदा अभिलेख की प्रति के साथ प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु इस न्यायालय को वापस किये जाने हेतु प्रेषित।

6-- तहसीलदार आरंग जिला रायपुर (छ0ग0) को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

3/07/23

कलेक्टर
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायपुर (छ.ग.)

//ज्ञापन//

क्रमांक/199/अपर कले./भूबंटन/2023
प्रति,

रायपुर, दिनांक06/04/2023

वनमण्डलाधिकारी,
रायपुर वन मण्डल,
रायपुर

विषय :– गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु एफ.सी.ए. प्रकरण अंतर्गत गैर वन मद (राजस्व भूमि) उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भ :– कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वन मण्डल, रायपुर का पत्र क्रमांक/वतअ/रा/556 रायपुर, दिनांक 13.02.2023

––00––

विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के तारतम्य में गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा नागपुर–झारसुगुड़ा नेचरल गैस पाईप लाईन लिनियर प्रोजेक्ट का कुछ भाग वन क्षेत्र के गुजरने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन संरक्षण अधिनियम में प्रभावित वन भूमि 15.690 हे. प्रभावित होने के कारण ग्राम भलेरा, प.ह.नं. 62, रा.नि.मं. व तहसील आरंग में स्थित भूमि खसरा नं. 926 में 18.000 हे. भूमि का चयन वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु किया गया है। इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

6/4/23
कलेक्टर,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायपुर (छ.ग.)

//अनापत्ति प्रमाण पत्र//

गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा नागपुर–झारसुगुड़ा नेचरल गैस पाईप लाईन लिनियर प्रोजेक्ट का कुछ भाग वन क्षेत्र के गुजरने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन संरक्षण अधिनियम में प्रभावित वन भूमि 15.690 हे. प्रभावित होने के कारण ग्राम भलेरा, प.ह.नं. 62, रा.नि.मं. व तहसील आरंग, जिला रायपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 926 में 18.000 हे. भूमि को क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है।

चयनित राजस्व भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 (3) अंतर्गत व्यपवर्तन के बदले क्षतिपूर्ति हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाता है तो इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक– 06.04.2023

स्थान– रायपुर

6/4/23

कलेक्टर,
रायपुर

गेल (इण्डिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम - महारत्न कंपनी)
GAIL (India) Limited
(A Government of India Undertaking-A Maharatna Company)

कैंप ऑफिस :-द्वितीय तल, अरिएना-द बुटीक होटल, व्ही.आई.पी. चौक, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.) 492001

Camp Office :- 2nd Floor, Ariena The Boutique Hotel, VIP Square, Telibandha, Raipur (C.G.) 492001

No.Gail/NRJPL/CG/FOREST/2023/ Date: 14/09/2023

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
रायपुर, वन मण्डल,
रायपुर।

विषय :– गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु एफ.सी.ए. प्रकरण अंतर्गत गैर वन मद (राजस्व भूमि) **के नामांतरण आदेश के दस्तावेज़ जमा करने बाबत्।**

संदर्भ :– **1.** भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ द्वारा जारी प्रथम चरण की स्वीकृति का पत्र क्रमांक/**FC-II/IROCH-20/2023/1414** दिनांक 24.05.2023।

2. न्यायालय-कलेक्टर रायपुर, जिला रायपुर का आदेश पत्र पारित दिनांक 31.07.2023।

विषयांतर्गत एवं सन्दर्भ पत्र के तारतम्य में ग्राम भलेरा खसरा क्रमांक 926 के कुल रकबे में से 18.000 हे. शासकीय राजस्व भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु रायपुर वनमंडल के अंतर्गत प्रस्तावित की गई थी उक्त भूमि को वनमण्डलाधिकारी, वन विभाग वनमंडल रायपुर छत्तीसगढ़ के नाम पर नामांतरित करवा दिया गया हैं जिस भूमि का खसरा नंबर 926/2 राजस्व अभिलेख में वनमण्डलाधिकारी, वन विभाग वनमंडल रायपुर छत्तीसगढ के नाम पर दर्ज है। **राजस्व अभिलेख की प्रति आपके कार्यालय में पत्र के साथ संलग्न कर जमा की जा रही है,**

खसरा नं 926/2, रकबा 18.000 हे. शासकीय (राजस्व) भूमि को वन भूमि घोषित करने संबंधी अधिसूचना प्रकाशन एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र सादर प्रेषित है।

संलग्न :

1. खसरा (P-II) की प्रति।
2. प्रथम चरण की स्वीकृति पत्र।
3. न्यायालय-कलेक्टर रायपुर, जिला रायपुर का आदेश पत्र पारित दिनांक 31.07.2023।

एम.वी.अरविंद
उपमहाप्रबंधक (निर्माण)
गेल इंडिया लिमिटेड

एम.वी. अरविन्द
M.V. ARVIND
Deputy General Manager(Construction)
GAIL (India) Ltd. Raipur (C.G.)

कृषि वर्ष: 2022-2023

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

ग्राम : भलेरा   हल्का : 00038   रा नि : भिलाई   तहसील : आरंग   जिला : रायपुर   20230906440200018

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रुपये पैसो में है |

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण					प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरुषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान	पड़ती का क्षेत्रफल				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)
926/2	18.0000 (राज्य सरकार)	वनमण्डलाधिकारी वन विभाग वनमण्डल रायपुर छतीसगढ			वन विभाग वनमण्डल रायपुर छतीस			शासकीय भूमि		

6/9/023
पटवारी-38

Digitally signed by Rajesh Kumar Sharma
Date: 2023.09.06 09:00:30 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

कार्यालय वनमंडल अधिकारी, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.)

E_Mail :- khairagarhdfo@yahoo.com, Phone & Fax - (07820) 234278

क्रमांक / तक.अधि. / न.क्र.2--20 / विविध / 996   खैरागढ़, दिनांक 25 / 07 / 2023

प्रति,

25.07.2023

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

विषय :— **Diversion of 15.690 ha. of Forest land/Orange Forest land and Revenue Forest land under Forest Conservation Act 1980, in favour of Executive Deputy Genral Manager (Project) , GAIL (India) Limited for non-forestry work "laying of the Gas Pipeline and O.F.C., 18-inch diameter natural gas under Khairagarh, Bilaspur, Korba, Janjgir-Champa and Raigarh Forest Division of Raigarh District in the State of Chhattisgarh"-reg.**

पंजीयन क्रमांक— FP/CG/Other/154619/2022

संदर्भ :— (1) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर—19, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ द्वारा जारी प्रथम चरण की स्वीकृति का पत्र क्रमांक / **FC-II/IROCH-20/2023/1414** दिनांक 24.05.2023

(2) उप महाप्रबंधक (परियोजना) गेल ईण्डिया लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) का पत्र दिनांक 24.07.2023

--000--

निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में प्रथम संदर्भित पत्र द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति जारी कर पालन प्रतिवेदन चाहा गया है। इस संदर्भ में समस्त अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवेदक संस्थान को लेख किया गया था। आवेदक संस्थान द्वारा समस्त अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन निम्नानुसार है :—

बिन्दु क्रमांक	विषय	जानकारी
i	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	वनभूमि की कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, से संबंधित आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
ii	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval:	क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु रायपुर वनमंडल के अंतर्गत ग्राम भलेरा खसरा क्रमांक 926 की भूमि में से 18.000 हे. शासकीय राजस्व भूमि प्रस्तावित की गई थी। इस भूमि को वन विभाग के नाम पर नामांतरित एवं हस्तांतरित करने की कार्यवाही कलेक्टर रायपुर द्वारा की जा रही है। आवेदक संस्थान द्वारा पालन प्रतिवेदन दिया गया है कि अंतिम चरण की स्वीकृति के पूर्व हस्तांतरण आदेश वनमंडल अधिकारी रायपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जावेगा ताकि वे उक्त शासकीय राजस्व भूमि को वनभूमि घोषित करने संबंधी अधिसूचना प्रकाशन की कार्यवाही कर सके। कलेक्टर रायपुर का अनापत्ति प्रमाण—पत्र संलग्न है।
iii	**Compensatory afforestation :** Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 18.00 ha. non-forest land in Patwari Halka no. 62, Khasrah no. 962 at Bhalera village, Teh.- Arang, in Atal Nagar, Nava Raipur, Range in Raipur District. Suitability certificate has been submitted by DFOs concerned. Certificate to defray the cost of CA has been submitted by the User	क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु रायपुर वनमंडल के अंतर्गत ग्राम भलेरा खसरा क्रमांक 926 की भूमि मे से 18.000 हे. शासकीय राजस्व भूमि प्रस्तावित की गई थी। यह भूमि वन विभाग के नाम पर आवेदक संस्थान द्वारा नामांतरित एवं हस्तांतरित करने के उपरांत अधिरोपित शर्तों

	Agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species along with 10% RET species of Raipur District shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The User agency shall make necessary facility/ construction in the area to meet the water requirement for plantation and for wild animals throughout the year;	का पालन करते हुए क्षतिपूर्ति रोपण का कार्य रायपुर वनमंडल द्वारा किया जावेगा।
iv	The cost of compensatory afforestation al the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision fof anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित 18.000 हे. शासकीय राजस्व भूमि में वृक्षारोपण कार्य कराये जाने के संबंध में वर्ष 2023–24 के लिये निर्धारित दर 966666/– रू. प्रति हे. के मान से 18.000 हे. के लिये राशि 17399988/– रू. कार्पोरेशन बैंक लोधी रोड़ नई दिल्ली के कैम्पा खाता में वेब पोर्टल पर ई–चालान जनरेट कर उक्त राशि जमा करा दी गई है। चालान की प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है।
v	**NPV:** a) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 15.690 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006, letter No. 53/2007-FC dated 05/02/2009, letter No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022 and letter No. 5-3/2011-FC(V01-I) dated 22.03.2022 in this regard; b) Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalizalion of the same by the Hon'ble Suprême Court of India *on* receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Govemment from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;	**a**) प्रकरण में व्यपवर्तित की जाने वाली 15.690 हे. में से वन/नारंगी वनभूमि का रकबा 11.651 हे. के लिये प्रत्याशा मूल्य की राशि 1228590/– रू. प्रति हे. के मान से राशि 14314302/– रू. तथा राजस्व वनभूमि का रकबा 4.039 हे. के लिये प्रत्याशा मूल्य की राशि 957780/– प्रति हे. के मान से राशि 4008211/– रू. कुल राशि 18322513/– रू. कार्पोरेशन बैंक लोधी रोड़ नई दिल्ली के कैम्पा खाता में वेब पोर्टल पर ई–चालान के माध्यम से जमा करा दिया गया है। चालान की प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है। **b**) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के बाद यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के दर में परिवर्तन किया जाता है तो अंतर की मांग की गई राशि को आवेदक संस्थान द्वारा निर्धारित बैंक खाते में जमा कराया जावेगा, से संबंधित वचन दिया गया है।
vi	The User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department; maximum numbers of trees in 10 meters RoW will be kept intact. A detailed report in this regard shall be submitted to IRO, Raipur, MoEF&CC along with Stage- I compliance report;	(1) प्रकरण में खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत वनभूमि के 1271 एवं राजस्व वनभूमि के 21 कुल 1292 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। इसके विदोहन हेतु मांग की गई राशि 423073/– रूपये का डी.डी. क्रमांक 000696 दिनांक 28.06.2023 द्वारा वनमंडल अधिकारी खैरागढ़ के कार्यालय में जमा करा दी गई है। प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है। (2) प्रकरण में जॉजगीर–चांपा वनमंडल के अंतर्गत वनभूमि के 237 वृक्ष एवं 01 नग बांसभिर्रा प्रभावित हो रहे है। इसके विदोहन हेतु मांग की गई राशि 625795/– रूपये का डी.डी. क्रमांक 000697 दिनांक 28.06.2023 द्वारा वनमंडल अधिकारी जॉजगीर–चांपा के कार्यालय में जमा करा दी गई है। प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है। (3) प्रकरण में रायगढ़ वनमंडल के अंतर्गत वनभूमि के 371 नग वृक्ष प्रभावित हो रहे है। इसके विदोहन हेतु मांग की गई राशि 31608/– रूपये का डी.डी. क्रमांक 000698 दिनांक 28.06.2023 द्वारा वनमंडल अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में जमा करा दी गई है।

		प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है। उपरोक्त वनमंडलों के वृक्ष विदोहन की राशि संबंधित वनमंडल अधिकारियों द्वारा पी.डी. खाते में जमा करा दी गई है।
vii	After completion of the project, the number of trees in the RoW of 10 meters shall be re-confirmed by the State Forest Department and damage, if any, shall be reported to the Regional Office. Forest land shall be handed over to the User Agency after re-confirmation of the number of pre-enumerated trees.	आवेदक संस्थान को अधिरोपित शर्त मान्य है। निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।
viii	To improve the Forest/ Tree cover and to reduce pollution in the State, as mandated in National Forest Policy, 1988 and Environmental (Protection) Act, 1986 respectively, the User Agency with involvement of Joint Forest Management Committees (JFMC's) and in consultation with local DFOs shall raise at least 1000 tall seedlings for each of the 183 villages, of forestry species along with bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental and indigenous/local species. At least 50% of seedlings shall be planted in the vicinity of project area and remaining 50% of seedlings shall be distributed among villagers as per choice of villagers. The concerned JFMC's shall maintain record of plantation/ seedling distribution to villagers;	इस शर्त के अनुसार 181 ग्रामों की भूमि प्रभावित हो रही है। प्रत्येक ग्राम में बांस, फलदार, औषधीय एवं अन्य वानिकी प्रजातियों के कम से कम 1000 पौधों का रोपण का कार्य आवेदक संस्थान के व्यय पर किया जाना है। जिसमें से 50% पौधे परियोजना क्षेत्र के आसपास लगाये जावेगे तथा शेष 50% पौधे ग्रामीणों की पसंद के अनुसार ग्रामीणों के बीच वितरित किये जाएंगे। 181 ग्रामों में कुल 1000 नग पौधों के मान से 181000 नग पौधे तैयार किया जाना प्रस्तावित है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छ.ग. रायपुर के आदेश क्रमांक/वि.यो./बजट/08 दिनांक 10.04.2023 द्वारा पौधा तैयारी हेतु प्रति पौधा 23/- रू. निर्धारित किया गया है। इस मान से 181000 नग पौधे तैयार करने हेतु 4163000/- रूपये का मांगपत्र दिया गया था। जिसका डी.डी. तैयार कर संबंधित वनमंडल में जमा करा दिया गया है, वनमंडलवार प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित विवरण निम्नानुसार है :- 1. खैरागढ़ वनमंडल-44 ग्राम पौधा संख्या 44000 राशि 1012000/- रू. डी.डी. क्र. 000699 दि. 28.6.2023 2. जॉजगीर-चांपा वनमंडल-52 ग्राम पौधा संख्या 52000 राशि 1196000/- रू. डी.डी. क्र. 000700 दि. 28.6.2023 3. कोरबा वनमंडल - 07 ग्राम पौधा संख्या 7000 राशि 161000/- रू. डी.डी. क्र. 000701 दि. 28.6.2023 4. रायगढ़ वनमंडल- 48 ग्राम पौधा संख्या 48000 राशि 1104000/- रू. डी.डी. क्र. 000702 दि. 28.6.2023 5. बिलासपुर वनमंडल-30 ग्राम पौधा संख्या 30000 राशि 690000/- रू. डी.डी. क्र. 000703 दि. 28.6.2023 उपरोक्त वनमंडलों में दर्शित ग्रामों में रोपण किये जाने वाले पौधों की राशि संबंधित वनमंडल अधिकारियों द्वारा पी.डी. खाते में जमा करा दी गई है।
ix	The user agency in consultation with State Forest Department shall prepare a scheme for the plantation of dwarf species trees/ medicinal plants that may be grown in the ROW as per the norms Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG),	इस शर्त के अनुसार व्यपवर्तित की जाने वाली 15.690 हे. भूमि की चौड़ाई 10 मीटर अर्थात ROW की सीमा के अंदर बौने प्रजातियों के

	Govt. of India, which is not hampering the Safety and maintenance of the pipeline. The same shall be submitted to Integrated Regional Office along with Stage- I compliance report;	पेड़ो/औषधीय पौधों का रोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रति हे. निर्धारित दर राशि 966666/– प्रति हे. के मान से मांग की गई राशि 15166990/– रूपये कार्पोरेशन बैंक लोधी रोड़ नई दिल्ली के कैम्पा खाता में वेब पोर्टल पर ई--चालान जनरेट कर जमा करा दिया गया है। प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है।
x	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/);	इस शर्त के पालन में दिये गये निर्देशानुसार वांछित मांग की गई राशि ई चालान जनरेट कर निर्धारित कैम्पा खाता में जमा करा दी गई है। जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति अधिरोपित शर्त कंडिका (iv), (v) एवं (viii) के साथ संलग्न किया गया है।
xi	The State Government of Chhattisgarh/ Nodal Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuing an order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule- 9 (6) (b) (ii) of Forest (Conservation) Rules, 2022 dated 28.06.2022;	वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत व्यपवर्तित की जाने वाली वनभूमि के संबंध में ग्रामसभा का ठहराव प्रस्ताव एवं कलेक्टर द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण--पत्र अंतिम चरण की स्वीकृति के पश्चात भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 की कंडिका 6 (ख) (ii) के प्रावधान अनुसार जमा कराये जाने का वचन पत्र आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया है, जो संलग्न है।
xii	The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipe line the ground will be leveled;	आवेदक संस्थान को इस शर्त का पालन मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।
xiii	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable;	प्रकरण में भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। छायाप्रति संलग्न है।
xiv	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया गया है, जो संलग्न है।
xv	No labour camp shall be established in the forest land;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया गया है, जो संलग्न है।
xvi	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया गया है, जो संलग्न है।
xvii	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया गया है, जो संलग्न है।
xviii	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया गया है, जो संलग्न है।

xix	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया गया है, जो संलग्न है।
xx	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया गया है, जो संलग्न है।
xxi	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया गया है, जो संलग्न है।
xxii	Violation of any ofthese conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया गया है, जो संलग्न है।
xxiii	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time. in the interest of conservation, protection and development offorests & wildlife;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। शर्त का पालन सुनिश्चित करने का वचन दिया गया है, जो संलग्न है।
xxiv	The compliance report shall be uploaded one-portal (https://parivesh.nic.in/).	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए अपलोड करने की कार्यवाही करने का वचन दिया गया है, जो संलग्न है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम चरण की स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन 04 प्रतियों में तैयार कर आपकी ओर अनुशंसा सहित अंतिम चरण की स्वीकृति जारी करने के लिये सादर प्रस्तुत है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

वनमंडल अधिकारी
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़

पृ.क्रमांक / तक.अधि. / न.क्र.2–20 / विविध / 997 खैरागढ़, दिनांक 25 / 07 / 2023

प्रतिलिपि :–

(1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध / व.स.अ.) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
(2) मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
(3) मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
(4) वनमंडल अधिकारी, बिलासपुर / कोरबा / जॉजगीर–चांपा / रायगढ़ की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
(5) उप महाप्रबंधक, (परियोजना) गेल ईण्डिया लिमिटेड रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(6) वनमंडल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित कर लेख है कि विषयांकित प्रकरण वनमंडल पुर्नगठन के फलस्वरूप आपके वनमंडल को हस्तांतरित कर दिया गया है। प्रकरण में नोडल अधिकारी की हैसियत से प्रथम चरण की स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन इस वनमंडल से उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया है। अब आगामी भविष्य में प्रकरण से संबंधित पत्राचार एवं अन्य कार्यवाही आपके वनमंडल से करने का आग्रह है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन की एक प्रति संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

वनमंडल अधिकारी
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़

गेल (इण्डिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम - महारत्न कंपनी)
GAIL (India) Limited
(A Government of India Undertaking-A Maharatna Company)

कैंप ऑफिस :-द्वितीय तल, अरिएना-द बुटीक होटल, व्ही.आई.पी. चौक, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.) 492001
Camp Office :- 2nd Floor, Ariena The Boutique Hotel, VIP Square, Telibandha, Raipur (C.G.) 492001

No- GAIL/NRJPL/CG/FOREST /DD/2023/2

Date: 01.07.2023

To,

The Office of Divisional Forest Officer,
Bilaspur (Chhattisgarh)

Sub: Diversion of 15.690 ha. Of forest land/orange forest land and revenue forest land under forest conservation act 1980, in favour of Executive Deputy General Manager (project), GAIL(India) Limited for non-forestry work "laying of the Gas pipeline and O.F.C, 18-inch diameter natural gas under Khairagarh, Bilaspur, Korba,Janjgir-Champa and Raigarh forest division of Raigarh District in the state of Chhattisgarh"-reg. Reg.No. FP/CG/Other/154619/2022

Ref: Your letter क्रमांक /तक. अधि. /न.क्र2-20/विविध/2033 खैरागढ़, दिनांक **05/06/2023**

Dear Sir,

With reference to the above subject and your mentioned reference letter i.e. क्रमांक /तक. अधि. /न.क्र.2-20/विविध/2033 खैरागढ़, दिनांक **05/06/2023** we are submitting following DD`s for necessary action please.

Sl.No.	Payment Method	DD No.	Dated	Amount
1	Demand Draft	000703	28/06/2023	6,90,000/-

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर
10/07/23

As this is a time-bound project of national importance, we request you process our application at the earliest.

Thanking you,

For, **GAIL (India) Limited**

Prashant Gupta
SM (Construction)

PRASHANT KUMAR GUPTA
वरिष्ठ प्रबंधक – निर्माण
Senior Manager - Construction
गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Limited, Raipur (C.G.)

Enclosure: -

1.) Copy of your letter क्रमांक /तक. अधि. /न.क्र2-20/विविध/2033 खैरागढ़, दिनांक 05/06/2023.

2.) Copy of Demand drafts 000703.

A/C PAYEE ONLY

ICICI Bank (282)BILASPUR Drawee Branch

VALID FOR THREE MONTHS ONLY

DD No. 703

DATE 28062023

D D M M Y Y Y Y

ON DEMAND PAY DIVISIONAL FOREST OFFICER BILASPUR*********** OR ORDER

RUPEES SIX LAKH NINETY THOUSAND Only

₹ **********6,90,000.00

FOR VALUE RECEIVED

Purchaser Name: GAIL (INDIA) LTD
TL/6/6 Not Above 6,90,000.00

7699DDCENPAY
NAVI MUMBAI - BELAPUR SECTOR15

Issuing Branch

Authorised Signatory

Authorised Signatory

Please sign above

SBF(M) / CTS - 2010

⑈000703⑈ 000229000⑆ 007699⑈ 16

गेल (इण्डिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम - महारत्न कंपनी)
GAIL (India) Limited
(A Government of India Undertaking-A Maharatna Company)

कैंप ऑफिस :-द्वितीय तल, अरिएना-द बुटीक होटल,
व्ही.आई.पी. चौक, तेलीबांधा,
रायपुर (छ.ग.) 492001

Camp Office :- 2nd Floor, Ariena The Boutique Hotel, VIP Square, Telibandha, Raipur (C.G.) 492001

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी
क्रमांक ....
दिनांक 04/07/23
जांजगीर- चांपा वनमण्डल

No- GAIL/NRJPL/CG/FOREST /DD/2023/3 Date: 01.07.2023

To,

The Office of Divisional Forest Officer,
Janjgir Champa (Chhattisgarh)

Sub: Diversion of 15.690 ha. Of forest land/orange forest land and revenue forest land under forest conservation act 1980, in favour of Executive Deputy General Manager (project), GAIL(India) Limited for non-forestry work "laying of the Gas pipeline and O.F.C, 18-inch diameter natural gas under Khairagarh, Bilaspur, Korba,Janjgir-Champa and Raigarh forest division of Raigarh District in the state of Chhattisgarh"-reg. Reg.No. FP/CG/Other/154619/2022

Ref: Your letter क्रमांक /तक. अधि. /न.क्र**2-20/**विविध**/2033** खैरागढ़, दिनांक **05/06/2023**

Dear Sir,

With reference to the above subject and your mentioned reference letter i.e. क्रमांक /तक. अधि. /न.क्र.**2-20/**विविध**/2033** खैरागढ़, दिनांक **05/06/2023** we are submitting following DD`s for necessary action please.

Sl.No.	Payment Method	DD No.	Dated	Amount
1	Demand Draft	000697	28/06/2023	6,25,795/-
2		000700		11,96,000/-

As this is a time-bound project of national importance, we request you process our application at the earliest.

Thanking you,

For, **GAIL (India) Limited**

Prashant Gupta
SM (Construction)

प्रशांत कुमार गुप्ता
PRASHANT KUMAR GUPTA
वरिष्ठ प्रबंधक – निर्माण
Senior Manager - Construction
गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (india) Limited, Raipur (C.G.)

<u>Enclosure: -</u>

1.) Copy of your letter क्रमांक /तक. अधि. /न.क्र**2-20/**विविध**/2033** [illegible] दिनांक **05/06/2023**
2.) Copy of Demand drafts 000697, 000700.

A/C PAYEE ONLY

ICICI Bank (1774)CHAMPA Drawee Branch

VALID FOR THREE MONTHS ONLY

DD No. 700

DATE 2 8 0 6 2 0 2 3
D D M M Y Y Y Y

ON DEMAND PAY DIVISIONAL FOREST OFFICER JANJGIR CHAMPA*********** OR ORDER

RUPEES ELEVEN LAKH NINETY SIX THOUSAND Only

₹ *********11,96,000.00

SNF(M)/CTS 2010

FOR VALUE RECEIVED

Purchaser Name: GAIL (INDIA) LTD
OC/1/7 Not Above 11,96,000.00

7699DDCENPAY
NAVI MUMBAI - BELAPUR SECTOR15

Issuing Branch

Authorised Signatory

Authorised Signatory

Please sign above

⑈000700⑈ 000229000⑆ 007699⑈ 16

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी
क्रमांक ....
दिनांक 07/07/23
जांजगीर-चांपा वनमण्डल

जी
ल
ई वि

EGI
AIL
EW

A/C PAYEE ONLY

ICICI Bank (1774)CHAMPA Drawee Branch

VALID FOR THREE MONTHS ONLY

DD No. 697

DATE 28062023 (D D M M Y Y Y Y)

ON DEMAND PAY DIVISIONAL FOREST OFFICER JANJGIR CHAMPA********** OR ORDER

RUPEES SIX LAKH TWENTY FIVE THOUSAND SEVEN HUNDRED NINETY FIVE Only

₹ *********6,25,795.00

FOR VALUE RECEIVED

Purchaser Name: GAIL (INDIA) LTD

TL/6/6. Not Above.6,25,795.00

7699DDCENPAY

NAVI MUMBAI - BELAPUR SECTOR15

Issuing Branch | Authorised Signatory | Authorised Signatory

Please sign above

SBF(M)/CTS-2010

⑈000697⑈ 000229000⑆ 007699⑈ 16

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी
क्रमांक ....
दिनांक 04/07/23
जांजगीर-चांपा वनमण्डल

गेल (इण्डिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम - महारत्न कंपनी)
GAIL (India) Limited
(A Government of India Undertaking-A Maharatna Company)

कैंप ऑफिस :-द्वितीय तल, अरिएना-द बुटीक होटल,
व्ही.आई.पी. चौक, तेलीबांधा,
रायपुर (छ.ग.) 492001

Camp Office :- 2nd Floor, Ariena The Boutique Hotel, VIP Square, Telibandha, Raipur (C.G.) 492001

कार्यालय वन मंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, खैरागढ़ (छ.ग.) 1/7/23

No- GAIL/NRJPL/CG/FOREST /DD/2023/4

Date: 01.07.2023

To,

The Office of Divisional Forest Officer,
Khairagarh (Chhattisgarh)

Sub: Diversion of 15.690 ha. Of forest land/orange forest land and revenue forest land under forest conservation act 1980, in favour of Executive Deputy General Manager (project), GAIL(India) Limited for non-forestry work "laying of the Gas pipeline and O.F.C, 18-inch diameter natural gas under Khairagarh, Bilaspur, Korba,Janjgir-Champa and Raigarh forest division of Raigarh District in the state of Chhattisgarh"-reg. Reg.No. FP/CG/Other/154619/2022

Ref: Your letter क्रमांक /तक. अधि. /न.क्र**2-20/विविध/2033** **खैरागढ़, दिनांक 05/06/2023**

Dear Sir,

With reference to the above subject and your mentioned reference letter i.e. क्रमांक /तक. अधि. /न.क्र.**2-20/विविध/2033** **खैरागढ़, दिनांक 05/06/2023** we are submitting following DD`s for necessary action please.

Sl.No.	Payment Method	DD No.	Dated	Amount
1	Demand Draft	000696	28/06/2023	4,23,073/-
2		000699		10,12,000/-

As this is a time-bound project of national importance, we request you process our application at the earliest.
Thanking you,

For, **GAIL (India) Limited**

1/7/23

Prashant Gupta
SM (Construction)

प्रशांत कुमार गुप्ता
PRASHANT KUMAR GUPTA
वरिष्ठ प्रबंधक – निर्माण
Senior Manager - Construction
गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (india) Limited, Raipur (C.G.)

Enclosure: -

1.) Copy of your letter क्रमांक /तक. अधि. /न.क्र**2-20/**विविध**/2033** खैरागढ़, दिनांक **05/06/2023.**
2.) Copy of Demand drafts 000696, 000699.
3.) Challan Copy (**Application**-199154619240, **MoEF/SG File No**. – FC-II/IROCH-20/2023)

A/C PAYEE ONLY

SBF(M)/CTS - 2010

ICICI Bank (926)RAIGARH Drawee Branch

DD No. 699

VALID FOR THREE MONTHS ONLY

DATE 2 8 0 6 2 0 2 3 (D D M M Y Y Y Y)

DIVISIONAL FOREST OFFICER KHAIRAGARH FOREST DIVISION**********

ON DEMAND PAY ... OR ORDER

RUPEES TEN LAKH TWELVE THOUSAND Only

₹ *******10,12,000.00

FOR VALUE RECEIVED

Purchaser Name: GAIL (INDIA) LTD
OC/1/7 Not Above 10,12,000.00

7699DDCENPAY
NAVI MUMBAI - BELAPUR SECTOR15

Issuing Branch | Authorised Signatory | Authorised Signatory

Please sign above

⑈000699⑈ 000229000⑆ 007699⑈ 16

A/C PAYEE ONLY

SBF(M)/CTS - 2010

ICICI Bank (926)RAIGARH Drawee Branch

DD No. 696

VALID FOR THREE MONTHS ONLY

DATE 2 8 0 6 2 0 2 3 (D D M M Y Y Y Y)

DIVISIONAL FOREST OFFICER KHAIRAGARH FOREST DIVISION**********

ON DEMAND PAY ... OR ORDER

RUPEES FOUR LAKH TWENTY THREE THOUSAND SEVENTY THREE Only

₹ *******4,23,073.00

FOR VALUE RECEIVED

Purchaser Name: GAIL (INDIA) LTD
TL/4/6 Not Above 4,23,073.00

7699DDCENPAY
NAVI MUMBAI - BELAPUR SECTOR15

Issuing Branch | Authorised Signatory | Authorised Signatory

Please sign above

⑈000696⑈ 000229000⑆ 007699⑈ 16

गेल (इण्डिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम - महारत्न कंपनी)
GAIL (India) Limited
(A Government of India Undertaking-A Maharatna Company)

कैंप ऑफिस :-द्वितीय तल, अरिएना-द बुटीक होटल,
व्ही.आई.पी. चौक, तेलीबांधा,
रायपुर (छ.ग.) 492001

Camp Office :- 2nd Floor, Ariena The Boutique Hotel, VIP Square, Telibandha, Raipur (C.G.) 492001

No- GAIL/NRJPL/CG/FOREST /DD/2023/5 **Date: 01.07.2023**

To,

The Office of Divisional Forest Officer,
Korba (Chhattisgarh)

Sub: Diversion of 15.690 ha. Of forest land/orange forest land and revenue forest land under forest conservation act 1980, in favour of Executive Deputy General Manager (project), GAIL(India) Limited for non-forestry work "laying of the Gas pipeline and O.F.C, 18-inch diameter natural gas under Khairagarh, Bilaspur, Korba,Janjgir-Champa and Raigarh forest division of Raigarh District in the state of Chhattisgarh"- reg. Reg.No. FP/CG/Other/154619/2022

Ref: Your letter क्रमांक /तक. अधि. /न.क्र2-20/विविध/2033 **खैरागढ़, दिनांक 05/06/2023**

Dear Sir,

With reference to the above subject and your mentioned reference letter i.e. क्रमांक /तक. अधि. /न.क्र.**2-20/विविध/2033** खैरागढ़, दिनांक **05/06/2023** we are submitting following DD`s for necessary action please.

Sl.No.	Payment Method	DD No.	Dated	Amount
1	Demand Draft	000701	28/06/2023	1,61,000/-

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग ... खैरवा वन मंडल जिला-कोरबा ... 7-2023

As this is a time-bound project of national importance, we request you process our application at the earliest.

Thanking you,

For, **GAIL (India) Limited**

1/7/23

Prashant Gupta

SM (Construction)

प्रशांत कुमार गुप्ता

PRASHANT KUMAR GUPTA

वरिष्ठ प्रबंधक – निर्माण

Senior Manager - Construction

गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)

GAIL (india) Limited, Raipur (C.G.)

Enclosure: -

1.) Copy of your letter क्रमांक /तक. अधि. /न.क्र**2-20**/विविध/**2033** खैरागढ़, दिनांक **05/06/2023.**

2.) Copy of Demand drafts 000701.

A/C PAYEE ONLY

ICICI Bank (353)KORBA Drawee Branch

VALID FOR THREE MONTHS ONLY

DATE 28062023 (D D M M Y Y Y Y)

DD No. 701

ON DEMAND PAY DIVISIONAL FOREST OFFICER KORBA*********** OR ORDER

RUPEES ONE LAKH SIXTY ONE THOUSAND Only

₹ *********1,61,000.00

FOR VALUE RECEIVED

Purchaser Name: GAIL (INDIA) LTD
TL/1/6 Not Above 1,61,000.00

7699DDCENPAY
NAVI MUMBAI - BELAPUR SECTOR15

Issuing Branch | Authorised Signatory | Authorised Signatory

Please sign above

SBF(M) / CTS - 2010

⑈000701⑈ 000229000⑆ 007699⑈ 16

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग * कोरबा वन मंडल जिला-कोरबा *
27-7-23

गेल (इण्डिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम - महारत्न कंपनी)
GAIL (India) Limited
(A Government of India Undertaking-A Maharatna Company)

कैंप ऑफिस :-द्वितीय तल, अरिएना-द बुटीक होटल,
व्ही.आई.पी. चौक, तेलीबांधा,
रायपुर (छ.ग.) 492001

Camp Office :- 2nd Floor, Ariena The Boutique Hotel, VIP Square, Telibandha, Raipur (C.G.) 492001

No- GAIL/NRJPL/CG/FOREST /DD/2023/1 **Date: 01.07.2023**

To,

The Office of Divisional Forest Officer,
Raigarh (Chhattisgarh)

Sub: Diversion of 15.690 ha. Of forest land/orange forest land and revenue forest land under forest conservation act 1980; in favour of Executive Deputy General Manager (project), GAIL(India) Limited for non-forestry work "laying of the Gas pipeline and O.F.C, 18-inch diameter natural gas under Khairagarh, Bilaspur, Korba,Janjgir-Champa and Raigarh forest division of Raigarh District in the state of Chhattisgarh"-reg. Reg.No. FP/CG/Other/154619/2022

Ref: Your letter क्रमांक /तक. अधि. /न.क्र**2-20/**विविध**/2033** खैरागढ़, दिनांक **05/06/2023**

Dear Sir,

With reference to the above subject and your mentioned reference letter i.e. क्रमांक /तक. अधि. /न.क्र.**2-20/**विविध**/2033** खैरागढ़, दिनांक **05/06/2023** we are submitting following DD`s for necessary action please.

Sl.No.	Payment Method	DD No.	Dated	Amount
1	Demand Draft	000698	28/06/2023	81,608/-
2		000702		11,04,000/-

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी
क्रमांक 7474
दिनांक 4/7/2023
वनमण्डल रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

As this is a time-bound project of national importance, we request you process our application at the earliest.
Thanking you,

For, **GAIL (India) Limited**

1/7/23

Prashant Gupta
SM (Construction)

प्रशांत कुमार गुप्ता
PRASHANT KUMAR GUPTA
वरिष्ठ प्रबंधक – निर्माण
Senior Manager - Construction
गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (india) Limited, Raipur (C.G.)

Enclosure: -

1.) Copy of your letter क्रमांक /तक. अधि. /न.क्र**2-20**/विविध/**2033** खैरागढ़, दिनांक **05/06/2023.**

2.) Copy of Demand drafts 000698, 000702.

A/C PAYEE ONLY

ICICI Bank (926)RAIGARH Drawee Branch

VALID FOR THREE MONTHS ONLY

DD No. 698

DATE 2 8 0 6 2 0 2 3
D D M M Y Y Y Y

ON DEMAND PAY DIVISIONAL FOREST OFFICER RAIGARH********** OR ORDER

RUPEES EIGHTY ONE THOUSAND SIX HUNDRED EIGHT Only

₹ *********81,608.00

Purchaser Name: GAIL (INDIA) LTD
OL/8/5 Not Above 81,608.00

FOR VALUE RECEIVED

7699DDCENPAY
NAVI MUMBAI - BELAPUR SECTOR15

Issuing Branch

Authorised Signatory

Authorised Signatory
Please sign above

SBI (M) / CTS - 2010

⑈000698⑈ 000229000⑆ 007699⑈ 16

A/C PAYEE ONLY

SBF(M) / CTS - 2010

ICICI Bank (926)RAIGARH Drawee Branch

VALID FOR THREE MONTHS ONLY

DD No. 702

DATE 2 8 0 6 2 0 2 3
D D M M Y Y Y Y

ON DEMAND PAY DIVISIONAL FOREST OFFICER RAIGARH********** OR ORDER

RUPEES ELEVEN LAKH FOUR THOUSAND Only

₹ *******11,04,000.00

Purchaser Name: GAIL (INDIA) LTD
OC/1/7 Not Above 11,04,000.00

FOR VALUE RECEIVED

7699DDCENPAY
NAVI MUMBAI - BELAPUR SECTOR15

Issuing Branch

Authorised Signatory

Authorised Signatory

Please sign above

⑈000702⑈ 000229000⑆ 007699⑈ 16

गेल (इण्डिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम - महारत्न कंपनी)
GAIL (India) Limited
(A Government of India Undertaking-A Maharatna Company)

कैंप ऑफिस :-द्वितीय तल, अरिएना-द बुटीक होटल,
व्ही.आई.पी. चौक, तेलीबांधा,
रायपुर (छ.ग.) 492001

Camp Office :- 2nd Floor, Ariena The Boutique Hotel, VIP Square, Telibandha, Raipur (C.G.) 492001

Date: 19.07.2023

GAIL/MNJPL/RAIPUR/DFO/01

To,

Office of the Divisional Forest Officer,
Raipur, Chhattisgarh.

Subject: Statutory payment for the Survey, Demarcation and construction of the boundary pillars in the Compensatory afforestation land.

Reference: 1. Yours office letter number-**व.त.अ./रा/1807, दिनांक-19/06/2023**

Dear Sir,

With reference to the above subject and your mentioned reference letter no. **व.त.अ./रा/1807, दिनांक-19/06/2023**, we are submitted the Demand draft for the same.

S.No.	Payment Method	Sr. No.	Date	Amount
1	Demand Draft	243307	13.07.2023	Rs.275000/-

As this is a time bound project of national importance, we request you to process our application at the earliest.

Thanking you,

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी * रायपुर वनमण्डल, रायपुर *

Received D.D.
19/7/2023

For, **GAIL (India) Limited**

मो. नजीब कुरैशी
M. Najeeb Quraishi
(महाप्रबंधक निर्माण)
General Manager(Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur (C.G.)

PAR ICICI Bank

A/C PAYEE ONLY
NOT NEGOTIABLE

CMS i-MultiPay

Printed By: CMS HUB
CBS Issued By: CMS HUB
862827

1	3	0	7	2	0	2
D	D	M	M	Y	Y	Y

Payable at

On Demand Pay DIVISIONAL FOREST OFFICER RAIPUR******** Or Order

Rupees Two Lakh Seventy-Five Thousand Only

₹ *******275000.00

OT	
TT	
OL	
TL	
ATL	

A/C. No. 010405222218

243307

For ICICI BANK LTD.

A13

Authorised Signatories
Please sign above S6421

⑈243307⑈ 400229022⑆ 222218⑈ 29

Online payment history made by User Agency under CAMPA

- Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/CG/Others/154619/2022 (../viewreport.aspx?pid=FP/CG/Others/154619/2022) Diversion of 15.6909 Ha. Forest Land (Reserved Forest, Protected Forest, Orange Forest And Revenue Forest) in Chhattisgarh State For non Forestry Purpose For Laying of Natural Gas Pipeline from Nagpur to Jharsuguda Under Mumbai- Nagpur-Jharsuguda Pipeline Project (MNJPL Project).	OTHERS1546192022240	1991546192240	24 May 2023	CA: 17399988/- Addl CA : 0/- PCA: 0/- CAT : 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/- NPV: 18322513/- Medicinal plantion : 15166990/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 50889491/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 08 Jun 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 08 Jun 2023 Transaction Date : 28 Jun 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/07062023122142650_FPC Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?

BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)
(HTTPS://DATA.GOV.IN/) india.gov.in (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) myGOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY
(HTTP://MEITY.GOV.IN/) (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) NIC (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 08-06-2023

Agency Name.	GAIL INDIA LIMITED
Application No.	199154619240
MoEF/SG File No.	FC-II/IROCH-20/2023
Location.	CHATTISGARH
Address.	GAIL (India) Limited, Registered office: GAIL Bhawan, 16 Bhikaiji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi, India - 110066South West
Amount(In Rs)	50889491/-

Amount In Words :Five Crore Eight Lakh Eighty-Nine Thousand Four Hundred and Ninety-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	CHATTISGARH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	15064199154619240 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through ch... even after 7 working days, then kindly mail a copy o... id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse(... ubin0903710@unionbankofindia.bank

J| 121438443

UTR → SBIN 323179583524

भा. स्टेट बैंक/S.B.I. कोरबा भवन 6240